राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेल: sbmg2018@gmail.com

क्रमांक : एफ 12( )परावि/एसबीएम/ **BSR Sanitation**/2024–25/ 2197 – 2202 दिनांक : 18/11/2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद –समस्त।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य सम्पादित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 1826–31 दिनांक 09.10.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य के संबंध में RTPP Act/ Rules एवं अन्य संबंध नियमों के तहत जिन ग्राम पंचायतों में अब तक निविदा प्रक्रिया कर कार्यादेश नहीं दिये गये है, उन्हें अग्रिम आदेशों तक कार्यादेश जारी नहीं किये जाने एवं जिन ग्रा.प. में कार्यादेश जारी किये जा चुके है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हुए है उन ग्राम पंचायतों में अग्रिम आदेशों तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उपर्युक्त के संबंध में इस प्रयोजनार्थ गठित कमेटी द्वारा पुनः परीक्षण किया गया तथा संबधित हितधारकों से चर्चा की गई। अतः RTPP Act/ Rules व अन्य संबंध नियमों के संदर्भ मे परीक्षण उपरान्त लोकहित व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है।

1. जिन ग्राम पंचायतों में निविदा कार्यवाही कर कार्यादेश जारी किये जा चुके है। वहां पर जारी की गई निविदा शर्तो के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जा सकते है।
2. जिन ग्राम पंचायतों हेतु अभी तक निविदा जारी नहीं की गई है अथवा निविदा आदिनांक तक नहीं खोली गई, वहां पर नये मॉडल निविदा प्रपत्र के अनुसार निविदा करने की कार्यवाही की जाये।
3. जिन ग्राम पंचायतों हेतु निविदा खोली गई है तथा कार्यादेश जारी नहीं किया गया है वहां पर संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इनका अंकन कार्य आदेश में कर आदेश (Work Order) जारी किये जाये।

निविदा हेतु संशोधित मॉडल निविदा प्रपत्र एवं परिशिष्ट संलग्न कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ–सफाई हेतु व्यवस्था कराये तथा नियमित मोनिटरिंग कर समयबद्व रूप से कार्य प्रारम्भ करने तथा योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– संशोधित मॉडल निविदा प्रपत्र एवं परिशिष्ट

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर– जिला समस्त।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज), जिला परिषद–समस्त।
4. जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी अधिकारी, SBM(G) जिला परिषद-
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

RajKaj Ref No.: 11525274

Document certified by JOGA RAM <JOGARAM@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date :17-11-2024 01:29:51

# परिशिष्ट–अ

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों हेतु जिन ग्राम पंचायतों में निविदा खोलने उपरान्त कार्य आदेश जारी नहीं किये गये, उन ग्राम पंचायतों द्वारा सफल बोलीदाता को जारी किये जाने वाले कार्य आदेश में शामिल किये जाने वाले अनिवार्य बिन्दु :–**

1. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यों हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत कार्य करने वाले/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।

2. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम/पोर्टल लागू किये जाने पर वाहनों में GPS स्थापित करना होगा।

3. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिको का माह के प्रथम सप्ताह में मजदूरी भुगतान करना होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना की जायेगी।

4. निविदा की शर्तो में स्वच्छता का कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु पी.पी.ई. किट/सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जायेगे।

5. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्य मशीनों के अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित कर किया जाता है तो राज्य/केन्द्र सरकार के नियमो के अनुसार श्रमिकों के समस्त दायित्वों (यथा EPF, ESI आदि) की पालना संवेदक द्वारा की जायेगी।

6. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।

7. श्रमिक द्वारा 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर दुगनी दर से तथा 8 घंटे से कम कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान करना होगा।

8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

9. सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायत (Online/Offline) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रू. 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।

10.कचरे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड/आर. आर. सी. का स्थान निविदा प्रपत्र में तय किया जायेगा। आर.आर.सी./तय स्थान से दुरी अधिक होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान देय होगा।

11.संवेदक को सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिको को श्रम विभाग के नियमो/अधिनियमों तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अवकाश प्रदान करना होगा।

12.सामुहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।

13.संवेदक के पास सफाई कर्मचारियों हेतु काम में लिये जाने वाले उपकरण तथा सामान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होंने चाहिए।

14.सडक/सार्वजनिक स्थान पर पेडों के पत्ते, छोटे कंकड पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बडे पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।

15.ग्रामीण क्षेत्रो में पशुओ के बाडे/तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवेदक द्वारा की जायेगी।

16.राजकीय विद्यालयों के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात चारदिवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नही किया गया हो।

17.सामुदायिक स्वच्छता परिसर में निर्धारित टॉयलेट सीट/यूरिनल आदि (पुरूषों एवं महिलाओं की अलग–अलग शौचालय सीट एवं यूरिनल, वॉश–बेसिन आदि) के अतिरिक्त सीट/यूरिनल की सफाई करने पर पृथक से भुगतान देय होगा।

18.सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिको का बीमा करवाने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।